भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-281

दिनांक 20 मार्च, 2024 को उत्तरार्थ

विद्युत परियोजनाओं की रक्षित स्थिति

***281 श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः**
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत परियोजनाओं की रक्षित स्थिति निर्धारित करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित विशिष्ट मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता संबंधी पहलों के प्रभाव को मापने के लिए कौन-सी प्रणालियां शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) राज्य सरकारों को ऊर्जा दक्षता 'रेट्रोफिट' दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए किस प्रकार उत्तरदायी ठहराया जाएगा; और

(घ) ऊर्जा दक्षता के संबंध में भारत की कार्यनीति अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों की तुलना में कैसी है?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

'विद्युत परियोजनाओं की रक्षित स्थिति' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 20.03.2025 को उत्तरार्थ तारांतिक प्रश्न संख्या 281 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) : विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार, एक विद्युत संयंत्र कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में माना जाता है यदि उसके उपयोगकर्ता सामूहिक रूप से संयंत्र के कम से कम 26% हिस्से के मालिक हैं और सालाना उत्पादित विद्युत का कम से कम 51% उपभोग करते हैं। व्यक्तियों के एक संघ के स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्र के लिए, प्रत्येक उपयोगकर्ता को 10% की स्वीकार्य भिन्नता के साथ अपने स्वामित्व हिस्से के अनुपात में विद्युत का उपभोग करना चाहिए। यदि संयंत्र एक पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा स्थापित किया गया है, तो स्वामित्व और उपभोग के इन मानदंडों को इसके सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) : विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता पहलों के प्रभाव को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा मूल्यांकित विशिष्ट संकेतकों का उपयोग करके मापा जाता है:

(1) विद्युत उपकरण: ऊर्जा-कुशल उपकरणों की स्थापना होने के कारण विद्युत की बचत (किलोवाट घंटा) द्वारा मापी जाती है।
(2) भवन: भवन आवरण में निष्क्रिय डिजाइन उपायों में सुधार करके प्राप्त कूलिंग लोड में कमी के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है।
(3) उद्योग: उत्पादन की प्रति यूनिट प्राप्त ऊर्जा बचत (तेल समतुल्य टन) के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।
(4) परिवहन: ईंधन की खपत की प्रति यूनिट यात्रा की गई दूरी में वृद्धि द्वारा मापा जाता है।

ये संकेतक विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपायों की प्रभावशीलता को मापने में मदद करते हैं।

(ग) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने मौजूदा वाणिज्यिक और आवासीय दोनों भवनों में ऊर्जा-कुशल रेट्रोफिट के मूल्यांकन, योजना और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए व्यापक मैनुअल/दिशानिर्देश विकसित किए हैं। इन मैनुअल की शुरुआत आम जनता के लाभ के लिए फरवरी, 2025 में की गयी हैं।

ये मैनुअल स्वैच्छिक प्रकृति के हैं और राज्य स्तर पर रेट्रोफिटिंग विकल्पों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को जवाबदेह नहीं बनाते हैं।

(घ) : भारत ऊर्जा संरक्षण में वैश्विक नेताओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2010 और 2019 के बीच वैश्विक ऊर्जा तीव्रता में 2% का सुधार हुआ, जबकि भारत ने 2.5% का उच्च सुधार हासिल किया। वर्ष 2021 और 2024 के बीच, वैश्विक ऊर्जा तीव्रता में 1.3% का सुधार हुआ, जबकि भारत ने 1.6% का सुधार दर्ज किया। ये अनुमान 2015 क्रय शक्ति समता (पीपीपी) पर मेगा जूल प्रति अमरीकी डालर में ऊर्जा तीव्रता को मापते हैं।

****